भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1672

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत रोजगार परिणाम

1672. श्री कुंदुरू रघुवीर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत आरंभ से अब तक प्रशिक्षित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले या स्वरोजगार स्थापित करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं; और

(ङ) प्लेसमेंट दरों और दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता तथा शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना है। इस योजना के तहत मंत्रालय की पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं, अर्थात् सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी तथा नई मंजिल का समेकन किया गया है।

पीएम विकास योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

क) बाजारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं एवं कारीगरों के लिए कौशल विकास तथा आजीविका सहायता प्रदान करना।
ख) सांस्कृतिक विरासत तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण सहित पारंपरिक कला एवं शिल्प का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
ग) विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमिता एवं नेतृत्व विकास करना।
घ) विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कार्यक्रमों तथा मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक सहायता प्रदान करना।
ङ) रोजगार के अवसरों तथा ऋण सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं संस्थानों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल हैं—

i. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण घटक (जिसमें पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक दोनों प्रकार के कौशल शामिल हैं।)
ii. महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता घटक।
iii. विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा घटक।
iv. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से अवसंरचना विकास घटक।

क्र.सं.	घटक	नामांकित लाभार्थी	प्रशिक्षित लाभार्थी
1	गैर-पारंपरिक कौशल	64,306	17,511
2	पारंपरिक कौशल	3,821	885
3	शिक्षा	12,682	12,028
4	महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता	1242	1,083
कुल		**82,051**	**31,507**

(ख) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के दिशा-निर्देशों को जनवरी, 2025 में अनुमोदित किया गया था तथा तत्पश्चात योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया। यह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है तथा इसके विभिन्न घटकों के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद रोजगार, वेतनभोगी रोजगार तथा स्व-रोजगार से संबंधित उपलब्धियों का विवरण संकलित किया जाएगा। योजना के अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुरूप, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) के माध्यम से संरचित कार्यान्वयन के द्वारा रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

(ग) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार रोजगार, वेतनभोगी रोजगार, स्व-रोजगार तथा प्रशिक्षुता के अवसर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) का है। प्रशिक्षित लाभार्थियों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए पीआईए को अपने उद्योग संपर्कों तथा नियोक्ताओं के नेटवर्क का प्रभावी उपयोग करना अपेक्षित है। गैर-पारंपरिक कौशल विकास घटक के अंतर्गत, पीआईए के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कम-से-कम 75 प्रतिशत को रोजगार, प्रशिक्षुता अथवा स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएँ। इनमें से कम-से-कम 50 प्रतिशत अभ्यर्थियों का रोजगार संगठित क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

(घ) पीएम विकास योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पारंपरिक प्रशिक्षण तथा गैर-पारंपरिक कौशल विकास घटकों के अंतर्गत कुल लक्ष्य का कम-से-कम 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त, महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता घटक विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित है तथा शिक्षा घटक के अंतर्गत कुल लक्ष्य का कम-से-कम 50 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए आरक्षित है। जहाँ तक योजना के अंतर्गत शामिल महिला लाभार्थियों के वास्तविक प्रतिशत का संबंध है, पीएम विकास योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजनाओं का कार्यान्वयन वर्तमान में प्रगति पर है तथा लाभार्थियों का नामांकन जारी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, पीएम विकास योजना के अंतर्गत कुल 82,051 नामांकित लाभार्थियों में से 52,200 महिला लाभार्थी हैं, जो कुल नामांकन का 63.62 प्रतिशत हैं। यह स्थिति योजना अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे विशेष बल को दर्शाती है।

(ङ) सरकार ने पीएम विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के रोजगार की दर में सुधार तथा स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र (NSQF) के अनुरूप गैर-पारंपरिक कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कम-से-कम 75 प्रतिशत अभ्यर्थियों को अनिवार्यत: रोजगार प्रदान करना, जिनमें से कम-से-कम 50 प्रतिशत को संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाना आवश्यक है।

ख) पीआईए से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए वेतनभोगी रोजगार, प्रशिक्षुता तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उद्योग संपर्कों तथा नियोक्ताओं के नेटवर्क का लाभ उठाने की अपेक्षा।

ग) आवश्यकतानुसार स्वयं सहायता समूहों, कारीगर उत्पादक संगठनों तथा व्यक्तिगत/समूह उद्यमों को सुविधा प्रदान करके पारंपरिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत उद्यमिता एवं स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना।

घ) प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षुता के अवसर तथा उद्योगों का व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना।

ङ) स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ एकीकृत विशिष्ट पीएम विकास पोर्टल के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करना, ताकि पर्यवेक्षण, पारदर्शिता तथा उपलब्धियों की ट्रैकिंग को सुदृढ़ बनाया जा सके।

ये सभी उपाय अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों की रोजगार-योग्यता बढ़ाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा उनके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
